न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः–
राजस्व वाद सं.–139/2018 अभिलाषा, आर.ए.एस.

1. शिवकुमार पुत्र स्व. श्री नौरंगलाल जाति ब्राहमण निवासी भौबिया तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राज.।
2. सुभाष पुत्र श्री नौरंगलाल जाति ब्राहमण निवासी भौबिया तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राज।

..........वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये होल्डर तहसीलदार सूरजगढ जिला झुंझुनूं
2. हनुमान प्रसाद पुत्र श्री नौरंगलाल जाति ब्राहमण निवासी भौबिया तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राज.।
3. मुनेश पुत्री श्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी भौबिया तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राज.।
4. विकास पुत्र श्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी भौबिया तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राज.।
5. सन्तोष पत्नी सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी भौबिया तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राज.।
6. सुनील कुमार पुत्र श्री सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी भौबिया तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं राज.।

..........प्रतिवादीगण

दावा बाबतघोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

–ःनिर्णयः–

दिनांक :–22-02-21

वादी ने वादपत्र पेशअनुतोष चाहा है कि –

(क).वाके ग्राम रामनाथपुरा तहसील सूरजगढ स्थित भूमि खसरा नम्बर 41 रकबा 1.03 है., खसरा नम्बर 44 रकबा 0.03 है. किता 2 कुल रकबा 1.03 है. वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत इन्द्राज वादी संख्या 1 का नाम गुरूदयाल व वादी संख्या 2 का नाम अशोक कुमार जो गलत तरीके से दर्ज है को हजफ [illegible] जावे तथा घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि उक्त वर्णित भूमि में शिवकुमार पुत्र नौरंगलाल व वादी संख्या 2 का नाम सुभाष पुत्र नौरंगलाल का नाम दुरूस्त कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:31:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल की गयी। प्रतिवादी सं. 2 लगायत 6 ने इकबालिये जवाब पेश किया है।

वादीगण की ओर से साक्ष्य में दस्तावेज नकल जमाबंदी सम्वत2074–77 ग्राम भौबियां, नकल जमाबंदी सं. 2074–77 ग्राम ढकरवाल, शपथ पत्र श्री शिवकुमार,, पहचान पत्र श्री शिवकुमार, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत घण्डावा, राशन कार्ड, आधार कार्ड शिवकुमार, शपथ पत्र सुभाष, आधार कार्ड सुभाष, राशन कार्ड, पहचान पत्र, प्रमाण पत्र घण्डावा, प्रस्तुत किये गये।

बहससुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। आराजी मुतनाजा वादीगणकी खातेदारी भूमि है। वाद वर्णित भूमि में वादीगण का नाम लिपिकीय त्रुटि से गलत दर्ज हो गया। प्रस्तुत दस्तावेजात, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र, वादीगण के शपथ पत्र तथा आधार जमाबंदी ग्राम ढकरवाल सं. 2074–77 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि वाद वर्णित भूमि में वादीगण का नाम गलत इन्द्राज हो गया है जिसका दुरूस्त किया जाना न्यायचित है।अतः न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतःवाके ग्राम रामनाथपुरास्थित खसरा नम्बर 41 रकबा 1.03 है., खसरा नम्बर 44 रकबा 0.03 है. किता 2 कुल रकबा 1.03 हैमें वादी संख्या 1 का नाम गुरूदयाल पुत्र नौरंगलाल के स्थान पर शिवकुमार पुत्रनौरंगलाल व वादी संख्या 2अशोक कुमार पुत्र नौरंगलाल के स्थान पर सुभाष पुत्र नौरंगलाल राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।तहसीलदार सूरजगढ को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

निर्णय आज दिनांक 22-02-21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:31:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner